श्रद्धेय जनता

आपलोगों के ज्ञातार्थ सूचित किया जाता है कि समस्त देश के भीतर असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी) अद्यतन का काम आरम्भ किया गया है। राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन सन् 1955 के नागरिकता कानून एवं 2003 नागरिकता विधि की व्यवस्थावली के आधार पर अद्यतन की जाएगी।

सन् 1951 के राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन अथवा 24 मार्च, 1971 (मध्यरात्रि) के पूर्व सरकार द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची को एकसाथ 'लिगेसी डाटा' नाम से नामकरण किया गया है। 'लिगेसी डाटा' में नाम रहने वाले सभी जीवित नागरिकों के परिचय प्रमाणित होने पर एनआरसी में नाम सम्मिलित किया जाएगा। 'लिगेसि डाटा' में नाम न रहनेवालों के मामले में नाम रहने वाले पूर्वजों के साथ संपर्क का सूत्र परिलक्षित होने पर अथवा 24 मार्च 1971 (मध्यरात्रि) से पहले असम स्थित निवास में बसने का प्रमाण मिलने पर अनुमोदित 12 दस्तावेज के आधार पर नाम सम्मिलित की जाएगी। सभी नागरिकों को अपना परिचयसूचक कागजातों को दाखिल करना होगा।

अनुमोदित 12 दस्तावेज :

1. **जमीन/जमीन के स्वत्व का कागजात**
2. **स्थायी वासिन्दा का प्रमाण-पत्र**
3. **नागरिकता प्रमाण-पत्र**
4. **शरणार्थी पंजीयन प्रमाण-पत्र**
5. **पासपोर्ट**
6. **एलआईसी पॉलिसी**
7. **सरकारी अनुज्ञा/प्रमाण-पत्र**
8. **सरकारी/व्यक्तिगत विभाग में नियुक्ति, नौकरी का प्रमाण-पत्र**
9. **बैंक, डाकघर के हिसाब का कागजात**
10. **जन्म प्रमाण-पत्र**
11. **बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाण-पत्र**
12. **अदालत प्रक्रिया/प्रमाण-पत्र**

इन सभी के कागजात 24 मार्च, सन् 1971 (मध्यरात्रि) के पूर्व प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

अतिशीघ्र, स्थानीय एनआरसी सेवा केन्द्र (एनएसके) में एवं निकटवर्ती अधिसूचित भवन (Nearest Notified Building) में सरकार द्वारा जनसाधारण के परिदर्शन हेतु प्रकाशित 'लिगेसी डाटा' जाँच कर अपने-अपने जरुरी कागजातों को इकट्ठा करने हेतु आपलोगों को अनुरोध किया जाता है। आपके इलाके की एनआरसी सेवा केन्द्रों का पता है .... एवं नजदीकी अधिसूचित भवनों का पता है ....। आपके नजदीकी एनआरसी सेवा केन्द्र (एनएसके) के तत्वावधान में आवेदन पत्र को घर-घर में वितरण किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र को कैसे भरा जाएगा उसका निर्देश भी होगा। एनआरसी सेवा केन्द्र अथवा टॉल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 15107 अथवा एनआरसी वेबसाईट nrcassam.nic.in के माध्यम से विस्तृत विवरण/मदद प्राप्त कर सकते हैं। आपके इलाके में आयोजित हो रही ग्रामीण सभा, दलीय आलोचना आदि में भाग लेकर भी जरुरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

याद रहे, आपके, आपकी सन्तान एवं देश की शान्ति, प्रगति तथा सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन एक बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण कागजात होगा। नागरिक पंजीयन में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन करना बाध्यतामूलक है। आपके आंतरिक सहयोग से ही असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन अद्यतन संभव होगा।

आएं, योग्य नागरिक के रूप में नागरिक पंजीयन में नाम सम्मिलित कर असम के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात करें।

धन्यवाद